परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 1277/ कम्प्युटर परिपत्र संख्या /2223042/ राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)
दिनांक: 22 अगस्त, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

विषय: इम्फोर्समेंट एलर्ट माड्यूल के माध्यम से खण्ड स्तर पर प्रेषित बोगस आई0टी0सी0 के मामलों में कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी इनवायस के आधार पर प्रान्त के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा क्लेम की जाने वाली आई0टी0सी0 नियमानुसार अनुमन्य न होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु इम्फोर्समेंट एलर्ट के माध्यम से सूचना खण्ड स्तर पर उपलब्ध करायी जाती है। मुख्यालय स्तर से की जानी वाली समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से इस बिन्दु पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं परन्तु मॉड्यूल पर उपलब्ध विवरण की समीक्षा से यह परिलक्षित हो रहा है कि राजस्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मामलों में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित राजस्व वसूली नहीं की गयी है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि इम्फोर्समेंट एलर्ट माड्यूल पर Successive GSTIN Zone Wise Menu में उपलब्ध मामलों में निहित आई0टी0सी0 के सबसे बड़े 20 मामलों में कृत अद्यतन कार्यवाही की रिपोर्ट GSTIN Wise मुख्यालय पर वि0अनु0शा0 अनुभाग में ई-मेल के माध्यम से दिनांक: 26-08-2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी मामले में समयबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ अथवा पूर्ण नहीं की गयी है तब संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की जाय।

22/8/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश